

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2024

थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

□थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा मैजिक वाहन से 03 राशि गोवंशीय पशुओं की बरामदगी करते हुए 02 पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद मे गौ तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2024 की रात्रि मे दो गौ-तस्करों द्वारा एक टाटा मैजिक वाहन मे 03 राशि गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाते समय गोवंशीय पशुओं की बरामदगी करते हुए 02 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम, पता-

1. विनोद कुमार सिंह पुत्र अवध नरायन सिंह उर्फ अवधू निवासी ग्राम नथईपुर फूलपुर वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष
2. सूरज विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम नथईपुर फूलपुर वाराणसी उम्र. करीब 22 वर्ष

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

स्थान गिरफ्तारी:-

अतायस्तगंज पुल के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

- 1.तीन राशि गोवंश (02 गाय 01 बछड़ा)
- 2.01 टाटा मैजिक (UP65KT4942)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2. व0उ0नि0 अभिषेक शुक्ला
3. हे0का0 सुरेश सिंह
4. हे0का0 महेश प्रताप सिंह
5. का0 मनीष कुमार यादव

जनपद- चन्दौली

- 03 आदतन पेशेवर और मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही
- 06 माह के लिए जिले की सीमा से किया गया सभी को निष्कासित
- चोरी, फ्रॉड, मारपीट, अवैध गांजा तस्करी, गोवध, गैंगस्टर एक्ट, जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी हैं अभियुक्त

चन्दौली: जनपद की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर लगातार खतरे की तरह मंडरा रहे 03 आदतन/पेशेवर और मनबढ़ अपराधियों को पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जिला बदर कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जनपद के मनबढ़ और अन्य अपराध की मंशा रखने वाले शातिरों का दुस्साहस भी डोल गया है। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांगे ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया है कि न गुंडई न गदर अगर ऐसा कुछ किया तो चलेगा आपरेशन जिला बदर।

ज्ञात हो कि श्री आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कुल 03 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। सभी जिला बदर अभियुक्तों पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

1. अवधेश यादव पुत्र जवाहिर यादव नि० ग्राम कवी पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0 116/2009 धारा 147/324/363/366/392/ 504/506 भादवि व 3(1)(x) एससी एसटी एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0 113/2012 धारा 307 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 46/2014 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
4. मु0अ0सं0148/2014 धारा 399/402 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली
5. मु0अ0सं0 13/2015 धारा 120बी/394/411/419/420 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
6. मु0अ0सं0-73/2015 धारा 379/411 भादवि थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
7. मु0अ0सं0-08/2020 धारा 147/148/332/427/594/506 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
8. मु0अ0सं0-87/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
9. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

2.-वसीम पुत्र वकील निवासी ग्राम कटेसर थाना मुगलसराय जनपद- चन्दौली।

- 1- मु0अ0सं0-146/2020 धारा-307/34 भा.द.वि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 2- मु0अ0सं0-147/2029 धारा-429 भा.द.वि. व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.दृग प्रताप सिंह उर्फ नारद पुत्र फतेह बहादुर शास्त्री नि० ग्राम सिसौडा कला थाना धीना जनपद- चन्दौली

1. मु0अ0सं0 31/2021 धारा 380/411 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0- 69/21 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0- 10/17 धारा- 379/411 भा0द0वि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 11.01.2003 को धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि० अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.संजय गुप्ता पुत्र बाबू लाल गुप्ता निवासी ग्राम ठठरा थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी
2.सलीम पुत्र बाउल निवासी ग्राम कड़सरा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 15/2003 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि०अधि० थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ), मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.संजय गुप्ता पुत्र बाबू लाल गुप्ता निवासी ग्राम ठठरा थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी
2.सलीम पुत्र बाउल निवासी ग्राम कड़सरा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 05.01.1998 को धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि०अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. सुदर्शन यादव पुत्र जगनू यादव निवासी ग्राम गुलाल सराय थाना बिरनो जनपद गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 01/98 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि०अधि० थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ), मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. सुदर्शन यादव पुत्र जगनू यादव निवासी ग्राम गुलाल सराय थाना बिरनो जनपद गाजीपुर को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए 20 लीटर अवैध कच्ची शराब की गयी बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल निर्देशन में थाना चकरघट्टा पर प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पर गठित टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में 02 अभियुक्तों गिरफ्तार करते हुए 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओ अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

1- दिनांक 19.09.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 विनोद कुमार मय टीम द्वारा समय 09.30 मझगावा नर्वदापुर मोड के पास ग्रा0 नर्वदापुर से एक अभियुक्त मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/24 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 नरसिंह उम्र 58 वर्ष नि0ग्रा0 नर्वदापुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1. मु0अ0सं0- 60/24 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम

बरामदगी:-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

2- उ0नि0 विनोद कुमार मय टीम द्वारा समय 13.10 बजे नर्वदापुर देउरा मार्ग पर स्थित बगीचे के पास ग्रा0 देउरा से एक अभियुक्त मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

महेन्द्र राम पुत्र स्व0 रामनरेश प्रसाद उम्र 55 वर्ष नि0ग्रा0 नर्वदापुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1.मु0अ0सं0- 61/24 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम

बरामदगी:-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार/बरामदगी अधिकारी/कर्म0गण नाम -

1.उ0नि0 विनोद कुमार चौकी प्रभारी मझगावा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 महेश कुमार सेन थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 अभिषेक पाल थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2024

थाना धीना जनपद चन्दौली

□थाना धीना पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

□10000रू0/- का इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली – श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, जोन वाराणसी, डॉ0 ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे के निर्देशन में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धीना के मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 में वांछित 10000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त बजरंगी पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस कार्यवाही- प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव मय पुलिस टीम के साथ थाना धीना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त बजरंगी पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम महुरा प्रकाश थाना धीना जनपद चन्दौली अपने घर पर मौजूद है कि मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त उपरोक्त के घर पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त के घर के दरवाजे से समय करीब प्रातः 07.35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

नाम पता अभियुक्त –

बजरंगी पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम महुराप्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 93/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 83/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

गिफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 19.09.2024 को समय 07.35 बजे ग्राम महुराप्रकाशपुर (अभियुक्त के घर के दरवाजे से)

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
- 2.हे0का0 दिनेश प्रजापति थाना धीना जनपद चन्दौली
- 3.का0 अनूप कुमार यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
- 4.का0 आयुष गुप्ता थाना धीना जनपद चन्दौली
- 5.का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली
- 6.का0 अजीत प्रचेता थाना धीना जनपद चन्दौली

थाना धानापुर जनपद चन्दौली

□थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा 02 अवैध असलहा, 02 कारतूस व 01 बोलेरो वाहन के साथ 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद चन्दौली में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह धानापुर के नेतृत्व में उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान 02 अवैध असलहा, 02 कारतूस व 01 वाहन बोलेरो के साथ 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु.अ.सं. 161/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 18.09.2024 को थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह व उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय मय हमराह रात्रि चेकिंग के दौरान कमालपुर खडान नहर के रास्ते एक चार पहिया वाहन आते दिखायी दिया। पुलिस टीम को चेकिंग करते हुए देख वाहन चेकिंग पॉइंट से पहले ही वाहन खड़ी कर लाईट बन्द उतरकर भागने का प्रयास किये किन्तु मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पहचान अजीत यादव पुत्र मिठू यादव निवासी ग्राम चन्दनी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर व प्रशान्त राय पुत्र प्रमोद राय निवासी ग्राम चन्दनी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के रूप में हुई। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध असलहा व 02 कारतूस बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.अजीत यादव पुत्र मिठू यादव निवासी ग्राम चन्दनी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
- 2.प्रशान्त राय पुत्र प्रमोद राय निवासी ग्राम चन्दनी थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

विवरण बरामदगी-

- 1.01 नाजायज देशी पिस्टल
- 2.01 जिन्दा कारतूस
- 3.01 देशी कट्टा
- 4.01 जिन्दा कारतूस
- 5.01 बोलेरो वाहन

□ अभियुक्त प्रशान्त राय का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु.अ.सं. 2871/2017 धारा 504,506 भादवि व 3(1)(ध) व 3(1)(द) एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- 2.मु.अ.सं. 2871/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- 3.मु.अ.सं. 0413/2020 धारा 323,452,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- 4.मु.अ.सं. 0161/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली

□ अभियुक्त अजीत यादव का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु.अ.सं. 161/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
- 2.उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी भदाहूं थाना धानापुर जनपद चन्दौली
- 3.हे0का0 धीरेन्द्र सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
- 4.हे0का0 संजय कुमार थाना धानापुर जनपद चन्दौली
- 5.हे0का0 रंजय कुमार थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू०डि०)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1--दिनांक 16.08.1996 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.कमल कुमार सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह निवासी राम बरिया थाना बक्सर प्रौद्योगिकी नगर जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 238/1996 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय कुमार मिश्रा (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-19.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू०डि०)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. कमल कुमार सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह निवासी राम बरिया थाना बक्सर प्रौद्योगिकी नगर जिला बक्सर बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू०डि०)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1 दिनांक 25.01.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. छविनाथ पुत्र शिवनन्दन निवासी राम नगर थाना मेजा जिला इलाहाबाद के विरुद्ध अपराध संख्या- 29/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय कुमार मिश्रा (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-19.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू०डि०)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. छविनाथ पुत्र शिवनन्दन निवासी राम नगर थाना मेजा जिला इलाहाबाद को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 19.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे 09 राशि गोवंश के साथ 02 शातिर पशु तस्करो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली, विनय कुमार सिंह व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे 09 राशि गोवंशों के साथ 02 शातिर तस्करो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई- दिनांक 19.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक अलीनगर को मुखबिर से सूचना मिली कि 01 पिकअप वाहन में गोवंशों को क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार ले जा रहे है। सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सिंधीताली पुल हाईवे पर जाम लगाकर एक-एक वाहन की चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन संख्या BR03GA7743 को चेक किया गया तो उसमें कुल 09 राशि गोवंश जिन्दा अवस्था में जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया था। वाहन चालक / स्वामी मोहम्मद इरफान शाह पुत्र मोहम्मद इलियाश शाह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 21 वर्ष तथा चाँद खान पुत्र सलाहू खान निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 26 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 239/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 19.09.2024

समय - 04.10 बजे

स्थान – सिंधीताली पुल हाईवे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहम्मद इरफान शाह पुत्र मोहम्मद इलियाश शाह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 21 वर्ष
2. चाँद खान पुत्र सलाहू खान निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1. मोहम्मद इरफान शाह पुत्र मोहम्मद इलियाश शाह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 21 वर्ष
1-मु0अ0सं0-165/15 धारा-307 भादवि व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली
2-मु0अ0सं0-086/16 धारा-307 भादवि व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली
3-मु0अ0सं0-239/24 धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली
2. चाँद खान पुत्र सलाहू खान निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर भभूआ (बिहार) उम्र करीब 26 वर्ष
1-मु0अ0सं0-239/24 धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1. एक वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर BR03GA7743
2. कुल 09 राशि गोवंश जिन्दा (03 राशि गाय, 06 राशि साड)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. उ.नि. गोविन्द सिंह हल्का प्रभारी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. उ.नि. मनीष कुमार सिंह चौकी इंचार्ज जफरपुरवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4. उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी इंजार्ज भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
5. हे0 का0 पन्ना लाल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
6. हे0का0 राजेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 19.09.2024

थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम द्वारा फ्राड करने वाले वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए 22960 रूपए किये गये बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आवेदक धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामधनी निवासी ग्राम विजयपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा रवि मौर्य पुत्र हरिद्वार मौर्या निवासी ग्राम सैरैया थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरूद्ध मोबाईल फोन से ओटीपी प्राप्त कर गूगल पे एप बनाकर धोखे से रू० 24300 का साइबर फ्राड करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर थाना स्थानीय पर दिया गया था, वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 06/2024 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 67(सी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

मुकदमे में वांछित अभियुक्त रवि मौर्य पुत्र हरिद्वार मौर्या निवासी ग्राम सैरैया थाना चकिया जनपद चन्दौली को मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त रवि मौर्य को दिनांक 19.09.2024 को समय करीब 10.45 बजे नवहीं पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया व रू० 22960 नकद की भी बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

रवि मौर्य पुत्र हरिद्वार मौर्या निवासी ग्राम सैरैया थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 23/24 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2-मु0अ0सं0 59/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

3-मु0अ0सं0 226/22 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

4-मु0अ0सं0-228/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

बरामद धनराशि रुपया – 22960/-

दिनांक घटना- 19.08.2024

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम थाना)

का0 सन्तोष कुमार यादव

का0 आशुतोष भारद्वाज

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 19.09.2024 को कुल 398 वाहनों का चालान व 06 वाहनों को सीज करते हुए 5,51,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 398 वाहनों का चालान व 06 वाहनों को सीज करते हुए 5,51,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात

नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या

- 1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-25
2. बिना हेलमेट-161
3. नो पार्किंग-106
4. बिना इंश्योरेंस-11
5. गलत नंबर प्लेट- 17
6. यातायात नियमों का उलंघन-37
7. लाइसेंस ना होना-26
8. बिना फिटनेस-5
9. सीज वाहन -06
- 10 अन्य-10

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 19.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरण:-

(1)संपूर्ण चालान:-398

(2) सीज वाहन-06

(2)संपूर्ण कारित राजस्व:- 5,51,000/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक- 19.09.2024

जनपद चन्दौली

□जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 16 शराबियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 19.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 16 शराबियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।